राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdre_rdd@yahoo.com)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 19.2.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 19.2.2015 को की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदत्त निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. आगामी विधानसभा को मध्येनजर रखते हुए संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन-II पंचायतीराज विभाग एवं संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय मंत्री महोदय के लिए एक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के दो कम्पेन्डियम तैयार जायेगें। इसमें सारगर्भित एवं अद्यतन सूचनायें डाली जाये। जिससे विधान सभा के दौरान आवश्यक सूचनाऐं उपलब्ध हो सके।
2. पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव के पूर्व तक माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर होने वाली योजनावार समीक्षा बैठकें पुनः प्रारम्भ की जाये।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) तथा संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग पंचायतीराज विभाग आगामी पीआरसी की बैठक में भाग लेगे एवं समस्त सैशन अटैन्ड करेंगे और भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार समीक्षा की जाति है उसका अध्ययन कर उस प्रकार का सिस्टम ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज में भी प्रारम्भ करेंगे।
4. सभी मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑन लाईन किया जाये एवं जहां संम्भव नहीं हो वहां स्मार्ट एमआईएस प्रणाली लागू की जाये।
5. ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में कुल उपलब्ध राशि 2443 करोड रूपये व्यय कर लगभग 43 प्रतिशत उपलब्धी हासिल की गयी है जबकि गत वर्ष की समान अवधि में 59 प्रतिशत प्रगति हासिल की गयी थी। प्रगति कम रहने का मुख्य कारण एरिया स्कीम में देरी से स्वीकृति जारी करने एवं इन्दिरा आवास योजना में 3 की जगह 4 किस्ते किया जाना जिससे कि आईएवाई लाभार्थियों को प्रथम किस्त मिलने वाली राशि 400 करोडा के स्थान पर लगभग 200 करोडा की राशि प्रदान की गयी। इस संबंध में निर्देश प्रदान किये गये कि प्रत्येक जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की जाये और जिन जिलों में पर्याप्त कारण नहीं होने पर भी योजना में प्रगति कम है उन्हें सोकाज नोटिस जारी किया जाये।
6. पंचायतीराज विभिन्न योजनाओं में सोलर लाईट के संबंध में जिन ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाईट क्रय की गयी उनमें अनियमितताओं व गबन हुआ उन की शतप्रतिशत रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करावें।

7. स्वच्छ भारत अभियान में 32 लाख शौचालयों की स्वीकृति जारी की गयी है तथा 5.32 लाख शौचालयों की स्वीकृति जारी की गयी है। स्वच्छ भारत योजनान्तर्गत आगामी 3 वर्षों में राज्य को शतप्रतिशत ओडिएफ किया जाना है जिसके लिए प्रथम वर्ष 30 द्वितीय वर्ष 40 एवं तृतीय वर्ष 30 प्रतिशत का लक्ष्य रखा जावे।
8. एमएलए लैड योजना में जिन जिलों में कार्य की अभिशंसा एवं स्वीकृतियॉ कम है वहां पर प्रमुख शासन सचिव महोदय की ओर से जिला कलक्टर्स को पत्र लिखवायें जायें।
9. मेवात योजना में प्रगति सबसे कम है। दोनों जिलों द्वारा कार्यो की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। अतः योजना में व्यय बढ़ाने के लिए अलवर एवं भरतपुर जिला कलक्टर्स को पत्र लिखवाया गया है।
10. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा सहयोग ना करते हुए कार्य नहीं किया जा .रहा है जबकि इन विभागों के पास योजना की 30 से 40 प्रतिशत राशि है। अतः मुख्य सचिव महोदय को निवेदन किया जाये कि उनके स्तर पर लाईन विभागों की समीक्षा बैठक राज्य स्तर पर रखी जाये।
11. वाटरसैड योजना में उपलब्ध राशि का 55 प्रतिशत व्यय किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है लेकिन इस प्रगति को 80 प्रतिशत की जाये।
12. जहां पर नयी ग्राम पंचायतें गठित की गयी है वहां पर पंचायत कार्यालय के लिए वर्तमान में उपलब्ध उपयुक्त भवनों को ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलक्टर्स को लिखा जावे।
13. सभी योजनाओं में भारत सरकार से द्वितीय किस्त प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये और जिन योजनाओं में द्वितीय किस्त प्राप्त नहीं की है उसके संबंध में पत्रावली प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रेषित की जाये।
14. BRGF योजना में गत वर्ष 200 करोड रूपये लैप्स हो गये थे। इस वर्ष यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी जिले द्वितीय किस्त प्राप्त कर लेवें और जिन 2 जिलों द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं किया जा रहा है उनको सोकाज नोटिस जारी किया जाये।
15. डांग व मगरा क्षेत्रीय विकास योजनाओं में स्वीकृत आवंटित राशि के लगभग 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियॉ जारी कर दी गयी है।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)